न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 18 /2023

वादी :—

1. महेश बागडी पुत्र विजय शंकर खटीक निवासी जनता मार्ग, खटीकवाडा, सुरजपोल उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1 अशोक कुमार पुत्र जालाराम जाति मेघवाल निवासी झुपेलाव तहसील सोजत
2 जवरीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बावरी निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली
3 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, अधिवक्ता वादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 06.07.2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत में स्थित नये खाता नम्बर 465 के खसरा नम्बर 1828 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 01 का 1/4 का एवं 02 का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है। वादस्थ भूमि का राजस्व रेकर्ड में आज दिनांक तक विधिक बंटवाडा नही हो रखा है। वादी का अपने 1/2 हक हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादस्थ भूमि का विधिक बंटवाडा नही होने से मनमुटाव एवं सीमाओं व काश्त को लेकर मौके पर विवाद होने की संभावना रहती है। वादी द्वारा दिनांक 03.01.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 से सम्पर्क कर वादस्थ भूमि का मौके पर माफिक कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर विधिक बंटवाडा करवाने का निवेदन करने पर वे साफ इंकार हो जाने से बिनायदावा बमुकाम ग्राम धीनावास में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत में स्थित नये खाता नम्बर 465 के खसरा नम्बर 1828 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी अपने 1/2 हक हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रतिवादीगण से विधिक बंटवाडा करवा कर पृथक से खाता व लगान अलग–अलग कर अमल दरामद तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 से 2 के विरूद्व दिनांक 27.03.2023 को प्रर्याप्त तामिल होने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार सोजत जबाब दावा पेश नही करना चाहने से उनका जबाब दावा का अवसर समाप्त कर जबाबदावा बन्द किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण 01 एवं 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एवं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जबाब दावा पेश नही करना चाहने से हस्तगत प्रकरण में दिनांक 27.03.23 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत में स्थित नये खाता नम्बर 465 के खसरा नम्बर 1828 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि के पक्षकारानों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया।

तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक / राजस्व / 2023 / 986 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा प्रा0 डिक्री की पालना कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार करके प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादी को सुना गया। वस्तुतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 से 21 की पालना की जाकर रूबरू मौतबिरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में पृथक पृथक खसरा नम्बर, लगान व रकबा का निर्धारण भी किया गया है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिवक्ता मय वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारानों में विभाजन / बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

–: **आदेश** :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2023 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत में स्थित नये खाता नम्बर 465 के खसरा नम्बर 1828 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन / बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	महेश बागडी पुत्र वियजशंकर कौम खटीक सा0 जनता मार्ग, खटीकवाडा, सुरजपोल उदयपुर	1828	0.8350	बा0दो0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

2.	अशोक कुमार पुत्र जालाराम कौम मेगवाल सा0 झुपेलाव	1828 / 1	0.4175	बा0दो0
3	जवरीलाल पुत्र मांगीलाल कौम बावरी सा0 झुपेलाव	1828 / 2	0.4175	बा0दो0
	योगः—	03	1.6700	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद / राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2023 की प्रमाणित छाया प्रति पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादी :–

1. महेश बागडी पुत्र विजय शंकर खटीक निवासी जनता मार्ग, खटीकवाडा, सुरजपोल उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 अशोक कुमार पुत्र जालाराम जाति मेघवाल निवासी झुपेलाव तहसील सोजत

2 जवरीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बावरी निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली

3 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी जिला पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 18/2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम धीनावास तहसील सोजत में स्थित नये खाता नम्बर 465 के खसरा नम्बर 1828 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	महेश बागडी पुत्र वियजशंकर कौम खटीक सा0 जनता मार्ग, खटीकवाडा, सुरजपोल उदयपुर	1828	0.8350	बा0दो0
2.	अशोक कुमार पुत्र जालाराम कौम मेगवाल सा0 झुपेलाव	1828/1	0.4175	बा0दो0
3	जवरीलाल पुत्र मांगीलाल कौम बावरी सा0 झुपेलाव	1828/2	0.4175	बा0दो0
	योगः–	03	1.6700	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2023 की प्रमाणित छाया प्रति पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)